



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Kadar Nawaz Khan
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

क्रमांक : 003/वि.प.ग./326/2020/112

दिनांक : 07.04.2026

अधिसूचना

विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (f) के प्रावधान के अंतर्गत चक्राधार पर वरिष्ठतानुसार डॉ. सतीश पावडे, सहायक प्रोफेसर को दो वर्ष की अवधि के लिए विद्या-परिषद् का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ खान)
07/04/26

प्रति (ई-मेल द्वारा) :

डॉ. सतीश पावडे
सहायक प्रोफेसर, प्रदर्शनकारी कला विभाग
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा):

1. कुलपति कार्यालय
2. विद्या-परिषद् के सभी माननीय सदस्य
3. कार्य-परिषद् के सभी माननीय सदस्य
4. सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. निदेशक, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली
7. विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठ / विभाग / केंद्र / अनुभाग
8. प्रभारी, लीला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
9. संबंधित पत्रावली।